<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 108 / 2024 FSSA</u>

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री दाउ दयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री लल्लू प्रसाद गुप्ता
एफबीओ मैसर्सः—श्री राम प्रोविजन स्टोर सुन्दर दास मार्ग दौसा निवासी सुन्दर दास मार्ग दौसा।
2. श्रीमति प्रतिभा पारीक पत्नि श्री चेतन पारीक
प्रबन्धक प्रतिभा ट्रैडर्स सोमनाथ नगर दौसा निवासी 13 / 54 सेक्टर—13 मालवीय नगर जयपुर।
3. श्री सन्नी पुत्र श्री रामपाल
प्रबन्धक मैसर्सः— डेमी एग्री फूड प्रा. लि. प्लॉट नं. 63 सेक्टर 8 **IIE,** सिद्वगुल हरिद्वार उत्तराखण्ड निवासी कम्भोमजरा, कन्सेपुर बेहट सहारनपुर उत्तरप्रदेश।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 07.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.04.2024 को 01:19 बजे मैसर्स श्री राम प्रोविजन स्टोर सुन्दर दास मार्ग दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां पर श्री दाउदयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री लल्लू प्रसाद गुप्ता मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री राम प्रोविजन स्टोर सुन्दर दास मार्ग दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अलग—अलग डिब्बा बंद पेय पदार्थो के साथ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** 100—100 मिली के 60 पैकेट के 30 कागज के गत्ते के कार्टुन रखे हुये पाये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये श्री दाउदयाल गुप्ता व गवाहान के फार्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। दुकान में कागज के गत्ते के कार्टन में रखे लगभग 36 कार्टन में से 1 कार्टन 60 पैकेट मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक का चयन कर उसको खोलकर उसमे से 40 पैकेट सील्ड पैक 100—100 मिली को ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड का चयन कर इलेक्ट्रोनिक मशीन से तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री दाउदयाल गुप्ता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 40 पैकेट सील्ड पैक 100—100 मिली कुल मात्रा 4.0 लीटर के 160 / —(अक्षरे एक सौ साठ रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा [illegible] लीटर मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** को श्री दाउदयाल गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर 10—10 पैकेट मैंगो ड्रिंक्स डेमी का एक भाग बनाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे चार डिब्बों में 10—[illegible] पैकेट प्रत्येक डिब्बे में मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** अलग—अलग रखकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर टाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एचं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-4273** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री दाउदयाल गुप्ता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AG-4273** को नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर श्री दाउदयाल गुप्ता व्यवहारी मैसर्स श्री राम प्रोविजन स्टोर सुन्दरदास मार्ग दौसा से मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** का नमूना क्रय करते समय अन्य फर्म का वारण्टी बिल मांगे जाने पर मैसर्स प्रतिभा टैड्रर्स सोमनाथ नगर दौसा राजस्थान का वारण्टी बिल क्रमांक 402 दिनांक 01.04.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये तथा डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महेश सैनी एफ.एस.ओ. कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण अधिकारी दौसा को दिनांक 05.04.2024 को श्रीमान खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को तैयारशुदा नमूना जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 05.04.2024 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से उक्त खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 1308 / एक्ट / 2024 / 1512 दिनांक 18.04.2024 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के उल्लंघन के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 1308 / एक्ट / 2024 / 1512 दिनांक 18.04.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **synthetic food colours Sunset Yello FCF and Tartrazine positive** प्राप्त हुआ है। परन्तु **synthetic food colours Sunset Yello FCF and Tartrazine** के मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान या विशिष्ट नाम **(recognized international numerical identification or specific name of these colours)** नमूने के लेबल पर घोषित नहीं किये है। जिसके कारण उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के उल्लंघन के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के विनियम नं. 5(II) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का भी पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्रांड **(Misbrand)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** का निर्माण करते समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमो की जानकारी के अभाव में उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर जानकारी अंकित करने में गलती हो गई। जानकारी होने पर हमारे द्वारा नियमानुसार खाद्य पदार्थ के लेबल पर संशोधन कर लिया है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1308/एक्ट/2024/1512 दिनांक 18.04.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** का नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(Mis Branded)** एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं. 5(11) का उल्लंघन करने के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का भी पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप **(Mis Branded)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 व 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** एवं कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर के खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक्स डेमी मूल पैक **(Mango Drink Dami Original Pack)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति प्रतिभा पारीक पत्नि श्री चेतन पारीक प्रबन्धक प्रतिभा ट्रैडर्स सोमनाथ नगर दौसा निवासी 13/54 सेक्टर–13 मालवीय नगर जयपुर एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री सन्नी पुत्र श्री रामपाल प्रबन्धक मैसर्सः– डेमी एग्री फूड प्रा. लि. प्लॉट नं. 63 सेक्टर 8 **IIE,** सिद्धगुल हरिद्वार उत्तराखण्ड निवासी कम्भोमजरा, कन्सेपुर बेहट सहारनपुर उत्तरप्रदेश पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / FSSA/ 2025/ दिनांकः– .04.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दाउदयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री लल्लू प्रसाद गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः–श्री राम प्रोविजन स्टोर सुन्दर दास मार्ग दौसा निवासी सुन्दर दास मार्ग दौसा।
4. श्रीमति प्रतिभा पारीक पत्नि श्री चेतन पारीक
   प्रबन्धक प्रतिभा ट्रैडर्स सोमनाथ नगर दौसा निवासी 13/54 सेक्टर–13 मालवीय नगर जयपुर।
5. श्री सन्नी पुत्र श्री रामपाल
   प्रबन्धक मैसर्सः– डेमी एग्री फूड प्रा. लि. प्लॉट नं. 63 सेक्टर 8 **IIE**, सिद्धगुल हरिद्वार उत्तराखण्ड निवासी कम्भोमजरा, कन्सेपुर बेहट सहारनपुर उत्तरप्रदेश।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:24 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा